संख्या 11014/3/89-स्था० (छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26(2) के अधीन अर्जित अवकाश लेने की अधिकतम सीमा में वृद्धि ।

...

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26(2) के अधीन एक बार में अर्जित अवकाश लेने की अधिकतम अवधि इस समय 120 दिन है । इसकी सीमा को बढ़ाकर 180 दिन करने का एक प्रस्ताव कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन था । इस मामले पर राष्ट्रीयपरिषद् (जे०सी०एम०) की बैठक में भी विचार किया गया था । राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26(2) के अधीन एक बार में 120 दिन का अधिकतम अर्जित अवकाश लेने की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए ।

2. इसके परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 26(3) तथा नियम 39(4)(क)(i) में उल्लिखित 120 दिन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ा कर 180 दिन कर दिया जाएगा ।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, यह भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किया जाता है ।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में औपचारिक संशोधन किए जाएंगे ।

(टी. ओ. थोमस)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।